GRPD 174/26-8-05-DCGRPI-3,00,000 Forms

II-155
C.J.

# ORDER SHEET

THE COURT

आपराधिक प्रकरण कमांकः– ............................

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा वि0 मनोज जाट

| Date of Order of Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| 29/1/20 | आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा की ओर से आरक्षक अन्तरसिंह क्रमांक ..................द्वारा अपराध कमांक 09/20 में आरोपी मनोज पिता कंवरलाल जाट नि0 फरकोदा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।<br>अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190(1)(ख) द.प्र.स. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दांडिक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.स. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे।<br>आरोपी आज स्वंय उपस्थित है।<br>उसके प्रकट किया है कि वह स्वंय अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरूद्ध उपयोग में लिया जाकर उसके कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वहा स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।<br>तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रकिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।<br>तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व रु. 1800/ (अठारह सौ रुपये) (एक हजार आठ सौ मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।<br>अभियुक्त ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रूपये 1800/- ई पैमेंट 0070 14618 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई।<br>निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।<br>(हस्ताक्षर)<br>जे0एम0एफ0सी देपालपुर<br>(मुहर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.))<br>पुनःश्च<br>अभियुक्त का न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर प्रत्यक्ष में रिहा किया गया।<br>(हस्ताक्षर)<br>जे0एम0एफ0सी देपालपुर<br>(मुहर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)) | (हस्ताक्षर)<br><br>(हस्ताक्षर) |